पत्रांक 15 / सी 7–01 / 2014 - 2337

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 11/12/2014

विषयः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77 दिनांक 06.11.2013 द्वारा स्वीकृत राशि के उपयोग में विहित प्रक्रिया के अनुपालन किए जाने की स्थिति प्रतिवेदित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 578 दिनांक 18.03.2014 तथा विभागीय पत्रांक 1836 दिनांक 15.09.2014 का निदेश किया जाए। वांछित प्रतिवेदन अब तक आपके स्तर से अप्राप्त है। यह खेदजनक है। ध्यातव्य हो कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77 दिनांक 06.11.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के विकास हेतु कुल रूपये 47,54,83,452/– (सैतालीस करोड़ चौवन लाख तीरासी हजार चार सौ बावन) स्वीकृत किए गए है। इनमें विभिन्न महाविद्यालयों को प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय हेतु भी राशि स्वीकृत किए गए है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँचोपरांत शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है :–

1. स्वीकृत्यादेश में आपके विश्वविद्यालय के जिन महाविद्यालयों को प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु राशि स्वीकृत की गई है, उनमें से कितने महाविद्यालयों को उपकरणों की आपूर्ति में साईंस पैलेस, बिसाईड उडलैण्ड शोरूम, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर तथा मे0 साईन्स सेन्टर, पटना द्वारा की गई है।

2. उपकरणें के क्रय के क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77 दिनांक 06.11.2013 की कंड़िका (4) का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। यदि हाँ तो अनुपालन किए जाने संबंधी साक्ष्य मसलन न्यूज पेपर में निविदा आदि निकाले जाने संबंधी विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न किया जाए।

3. प्रत्येक महाविद्यालय जहाँ उपस्कर क्रय की कार्रवाई हुई है वहाँ क्रय किए गए सामानों की विस्तृत विवरणी यथा उपस्कर का नाम, उनकी संख्या, उनका दर आदि उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ जितने राशि का उपस्कर क्रय हुआ उसका कुल लागत राशि।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र विभाग में उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन,

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार. के अपर सचिव